न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0
अपील संख्याः—105 / 2016 (2016 / 00105)223 / नसीराबाद

1. **गुलाब सिंह पुत्र गणपत सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर ।**

अपीलांट

बनाम

1. **मनोहर सिंह पुत्र सांवत सिंह**
2. **भोपाल सिंह पुत्र सांवत सिंह**
3. **भैरू सिंह पुत्र सांवत सिंह**
4. **शंकर सिंह पुत्र सांवत सिंह**
5. **श्रीमती अलोल कंवर पत्नि सांवत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलाना तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।**
6. **राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।**

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 28.01.2016।

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्री शंकर लाल चौधरी एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 03 व 5 की ओर से ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी (राजकीय अभिभाषक) रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 4 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—30.11.2018

01. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद के वाद संख्या 161 / 2012 में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

02. प्रकरण में संक्षिप्त एवम् सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 / वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादी की पुश्तैनी सहखातेदारी भूमि ग्राम तिलाना में स्थित हैं कि खाता संख्या 360 / 344 खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.68 खातेदारी काश्तकारी भूमि हैं जिससे प्रतिवादी संख्या 01 का कोई सारोकार नहीं है परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 काफी बलशाली एवं प्रभावशाली है गैर कानूनी रूप से वादीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करते है कृषि कार्य सम्पन्न नहीं करने देते हैं बरसात के मौसम में स्वंय कृषि कार्य करने पर आमादा हो जाते है जिसकी रोक हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं। विवादित आराजी पर दखलअंदाजी उत्पन्न करने एवं रहन बेचान करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जवाब काउन्टर वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की भूमि हाल खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.68 के पुराने खसरा नम्बर 2317 रकबा 04—03—10 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब सिंह पुत्र गणपतसिंह एवं नारायण सिंह, गोपाल सिंह, कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी तिलाना द्वारा दिनांक 16.08.1975 को रूपये 1000 / —में क्रय की गयी तथा खरीदशुदा भूमि का कब्जा प्राप्त किया जिससे वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान कारित होने की संभावना नही है इसलिए प्रतिवादी संख्या 01 का

काउन्टर दावा स्वीकार किया जाकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विक्रय पत्र अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 का खातदेारी अंकन कर इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती खातेदारी उद्घोषणा पारित की जावें । वाद पत्र के विचाराधीन रहते वादीगण द्वारा वाद को विड्रोल करने से खारिज करवा लिया गया किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 के काउन्टर दावा पर कोढ आदेश पारित नहीं करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2016 से असंतुष्ट व व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के सक्षम प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 5 के अभिभाषक ने उनकी ओर से वकालतनामा पेश किया बरवक्त बहस में उपस्थित नहीं हुए एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 2, 4 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।

4. विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपने मिमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त भूमि आराजीयात हाल खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.68 है0 के पुराने खसरा नम्बर 2317 रकबा 04—03—00 प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब सिंह पुत्र गणपत सिंह एवं नारायण सिंह, गोपाल सिंह, कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम तिलाना द्वारा दिनांक 16.08.1975 को रूपये 1000/— में क्रय की गई है एवं कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तभी से प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। इस बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब सिंह व गोपाल सिंह व नारायण सिंह पुत्रगण कल्याण सिंह क्रेतागत के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातदेारी दर्ज करने के बजाय गलत एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम अंकन कर दिया गया को दुरूस्त किया जाकर क्रेतागण व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन किया जावें एवं इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती खातेदारी उद्घोषण पारित की जावें एवं स्थायी निषेधाज्ञा से पाबदं किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र खारिज करते हुए प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी के काउन्टर दावे का कोई निर्णय पारित नहीं करने का अपीलाधीन आदेश विधि के प्रावधानों के विपरीत किया हैं। न्यायालय हाजा से निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय दिनांक 28.01.2016 को खारिज किया जावें तथा प्रतिवादी /अपीलार्थी का काउन्टर दावा स्वीकार किया जाकर दावाकृत भूमि का अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 को खातेदार दर्ज किया जावें इस आशय की खातेदारी उद्घोषण पारित की जावें।

5. हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आधार अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर बहस विद्धान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया गया हैं भूमि हाल खसरा नम्बर 1745 रकबा 0.68 के पुराने खसरा नम्बर 2317 रकबा 04—03—10 बीघा प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब सिंह पुत्र गणपतसिंह एवं नारायण सिंह, गोपाल सिंह, कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी तिलाना द्वारा दिनांक 16.08.1975 को रूपये 1000/—में क्रय की गयी, जो बन्दोबस्त विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 गुलाब सिंह व गोपाल सिंह व नारायण सिंह पुत्रगण कल्याण सिंह क्रेतागत के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातदेारी दर्ज करने के बजाय गलत एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से वादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम अंकन कर दिया गया को दुरूस्त किया जाकर क्रेतागण व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अंकन किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2016 को प्रस्तुत वाद पत्र को वादीगण के वादपत्र में कोई कार्यवाहीं नहीं चाहने से वाद पत्र को नोट प्रेस में खारिज कर दिया किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 /अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किये हैं। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को काउन्टर दावा का भी निस्तारण करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार जब वाद पत्र में जवाब दावा प्रस्तुत हो चुका हो तो जवाब दावा का भी विधि अनुसार निस्तारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी त्रुटि की हैं इसलिए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वे प्रतिवादी संख्या 01/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब

दावें को पुनः दर्ज रजिस्टर कर, पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें।

6. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं वे प्रतिवादी संख्या 01/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब दावें को पुनः दर्ज रजिस्टर कर, पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर

07. आदेश आज दिनाक 30.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकरी,
अजमेर